

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या- 6379/77-4-23-81अपील/23
लखनऊ : दिनांक 18 अक्टूबर, 2023

एपेक्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल प्रा0लि0

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य

विपक्षीगण

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका मेसर्स एपेक्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल प्रा0लि0 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें आवंटित भूखण्ड संख्या-पीएच-1 पॉकेट-सी, सेक्टर-20, क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 28.06.2023 के विरुद्ध उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 सपठित उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा- 41 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिस पर यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की गयी, जो प्राधिकरण के पत्र दिनांक 14.09.2023 के माध्यम से प्राप्त हुई। पुनरीक्षण याचिका पर दिनांक 20.09.2023 को सुनवाई की गयी। सुनवाई में पुनरीक्षणकर्ता कंपनी की ओर से श्री सुनील यादव, श्री के0सी0 विश्वाजी एवं श्री संजय सिंह श्रीवास्तव भौतिक रूप से और प्राधिकरण की ओर से श्री वीरेन्द्र सिंह, उप महाप्रबन्धक तथा श्री के0एस0 चौधरी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति रहे।

2. पुनरीक्षणकर्ता कंपनी द्वारा अपनी याचिका में एवं सुनवाई के समय निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए:-

- यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कोविड के तीसरे फेज के दृष्टिगत किसी भी महामारी की स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल के निर्माण के लिए विज्ञापन निकाले गए थे, परन्तु पुनरीक्षणकर्ता के अतिरिक्त किसी भी संस्थान ने अस्पताल निर्माण के कार्य में रुचि नहीं दिखायी। प्राधिकरण ने पुनरीक्षणकर्ता कंपनी अपेक्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 100 शैय्या वाले पीडियाट्रिक अस्पताल कोरोना महामारी के तीसरे फेज के दृष्टिगत अस्पताल के निर्माण हेतु 5000 वर्ग मीटर भूमि अस्पताल के दर पर 90 वर्षों के लिए आवंटित किया। पीडियाट्रिक अस्पताल का निर्माण सुविधानुसार बनाया जाना था, लेकिन वरीयता प्रीफेब्रीकेटेड निर्माण की थी, जिसके लिए भूमि आवंटित करते हुए दिनांक 10.09.2021 को आवंटन पत्र जारी किया।
- ब्रोशर के अनुसार पेज 13(3.1.1) आवंटी को लीज डीड कराने हेतु चेक लिस्ट 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का प्रावधान है, परन्तु पुनरीक्षणकर्ता कंपनी को चेक लिस्ट लगभग छः माह बाद 03.03.2022 को प्राप्त हुई, जिसके कारण कार्य शुरू करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ। पुनः 2.5 लाख वर्ग मीटर पर निर्माण का कार्य 09 महीने में कर पाना व्यवहारिक रूप से असंभव है।
- चूंकि यह आवंटन 90 वर्षों के लिए है और प्रीफेब्रीकेटेड अस्पताल का निर्माण अस्थाई प्रकार का होता है। अतः लम्बे समय तक इनका

टिकना मुश्किल है एवं इसके रख-रखाव पर आए दिन होने वाले व्यय आर्थिक बोझ को बढ़ाते हैं। साथ ही ब्रोशर में कहीं यह दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है कि स्थितियां सामान्य रहने पर अस्पताल को क्रियाशील रखने एवं निरन्तर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। जहां तक निर्माण का प्रश्न है, एनबीसी के गार्ड लाइन के अनुसार इस प्रकार के निर्माण कंक्रीट के होने चाहिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर जैसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई तो महामारी से निपटने के उद्देश्य से किए जा रहे निर्माण का कोई अर्थ नहीं होता है, अतः यह शर्त अपने आप ही समाप्त हो जाती है। जब स्थितियां सामान्य हैं तो निर्माण संबंधी एवं अन्य नियम भी सामान्य प्रवृत्ति के होंगे। ब्रोशर में उल्लिखित पेज 19 (4) के अनुसार 4000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण के लिए 03 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।

- पुनरीक्षणकर्ता कंपनी ने उपरोक्त बिंदुओं पर प्राधिकरण से अनुरोध करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश एवं राहत मांगी थी, परन्तु बोर्ड की मीटिंग में पुनरीक्षणकर्ता कंपनी के प्रस्ताव के व्यावहारिक बिंदुओं पर विचार किए बिना ही प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। प्राधिकरण से कोई राहत न मिलने पर पुनरीक्षणकर्ता कंपनी ने उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 सपटित उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा- 41 (3) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु अपील प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई 29 मई 2023 को की गई थी। मूलभूत सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं थी, जिसमें मुख्य रूप से विद्युत संयोजन की समस्या आ रही है। इस विषय में विद्युत विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि वहां पर अभी विद्युत व्यवस्था करने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि यह सूचना विद्युत विभाग द्वारा 31 मई, 2023 को प्राप्त हुई। अतः यह बिन्दु दिनांक 29 मई 2023 की सुनवाई में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।
- 31 मई, 2023 को अपील को खारिज करते हुए आदेश जारी कर दिया गया। तत्पश्चात बोर्ड की बैठक में पुनरीक्षणकर्ता कंपनी को बिना कोई अवसर दिए बोर्ड ने 28 जून 2023 को आवंटन निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त के दृष्टिगत पुनरीक्षणकर्ता कंपनी द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 सपटित उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा- 41 (3) के अन्तर्गत सुनवाई कर न्यायोचित निर्णय देने का अनुरोध किया गया है:-

- कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 100 शैय्या वाली 2.5 लाख वर्ग फिट के प्रीफेबरीकेटेड निर्माण को 09 महीने में पूरा करने की शर्तों की बाध्यता समाप्त कर राहत दी जाए, क्योंकि प्रीफेबरीकेटेड निर्माण का जीवनकाल बहुत लम्बा नहीं होता है, उसके बाद यदि पुनरीक्षणकर्ता कंपनी को पुनः कंक्रीट निर्माण करवाना होगा तो आर्थिक बोझ पड़ेगा।

- चूंकि आवंटन सामान्य अस्पताल की श्रेणी का है, इसलिए 100 शैय्या वाले पीडियाट्रिक अस्पताल के साथ अन्य: रोगों के लिए प्रत्येक आयु वर्ग एवं समाज के प्रत्येक तबके के लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को क्रियाशील करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
 - पुनरीक्षणकर्ता कंपनी द्वारा समय-समय पर किश्तें जमा की गई हैं, परन्तु लीज डीड न हो पाने की वजह से 28.06.2023 को आवंटन निरस्त कर दिया गया, क्योंकि आवंटित भूखंड के स्थान पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, विशेष तौर से विद्युत संयोजन जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में लीज डीड कराने पर पुनरीक्षणकर्ता कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है तो उसके ऊपर आर्थिक भार पड़ेगा।
 - पुनरीक्षणकर्ता कंपनी द्वारा अनुरोध किया गया कि ब्रोशर के पेज 18(317.1) के तहत 10% शुल्क को माफ करते हुए प्राधिकरण के निरस्तीकरण के आदेश को निरस्त करते हुए भूमि पुनरीक्षणकर्ता कंपनी के नाम रहने दिया जाए साथ ही नई चेक लिस्ट जारी की जाए, जिसके अनुसार 60 दिनों के अंदर लीज डीड को रजिस्टर करने का पुनरीक्षणकर्ता कंपनी वचन देता है, इसके लिए वह शपथ पत्र भी देने को तैयार है।
3. प्रश्नगत पुनरीक्षण याचिका में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में तथा सुनवाई के समय निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए:—

- प्राधिकरण द्वारा वैश्विक महामारी कोविड 19 के दृष्टिगत Pediatric Hospital हेतु भूखण्ड आबंटन की योजना Yea/INST2021-22-02 विशेषरूप से लायी गयी जिसमें कोविड-19 के दृष्टिगत अस्पताल का निर्माण शीघ्र Prefabricated Material के द्वारा किया जाना था। उक्त योजना के नियमानुसार उक्त भूखण्ड पर प्रथम फेज (50% of FAR) का निर्माण 9 माह के अन्दर किया जाना है तथा सम्पूर्ण निर्माण 15 माह के अन्दर किया जाना था।
- M/s. Apex multispecialty Hospital pvt. Ltd. द्वारा प्राधिकरण के संस्थागत विभाग की वैश्विक महामारी कोविड 19 के दृष्टिगत लायी गयी योजना YEA/INST 2021-2022/02 के अन्तर्गत आवेदन संख्या-030 के माध्यम से 5000 वर्ग मीटर का भूखण्ड अस्पताल हेतु आवंटित किये जाने का आवेदन किया गया। संस्था के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आबंटन समिति द्वारा वैश्विक महामारी कोविड के दृष्टिगत 100 bedde pediatric Hospital की स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या P.H.-1 पॉकेट-सी, सैक्टर-20 क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर भूमि संस्थागत योजना के अन्तर्गत आबंटन किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुपालन में संस्था के पक्ष में उक्त आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 10.09.2021 को जारी किया गया जिसके बिन्दु संख्या-18 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि The terms and conditions of the scheme shall form part of this allotment letter and shall be binding on the allottee.
- उक्त आवंटित भूखण्ड ग्राम-रूस्तमपुर के खसरा संख्या 85 पर नियोजित है। ग्राम-रूस्तमपुर के खसरा संख्या 85 प्राधिकरण द्वारा अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि

है। विधि विभाग की आख्या दिनांक 03.09.2021 के अनुसार ग्राम रुस्तमपुर के खसरा संख्या 85 पर वर्तमान में कोई वाद या याचिका लम्बित नहीं है। खसरा संख्या 85 की भूमि कब्जा प्राप्त भूमि है एवं उक्त खसरो पर विकास कार्य कराया जा चुका है। आख्या दिनांक 29.03.2022 के अनुसार सैक्टर-20, पॉकेट-सी, भूखण्ड संख्या पी.एच.-01 के सापेक्ष विकास कार्य यथा सडक, सीवर व वाटर सप्लाई का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- आबंटित भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादन किये जाने हेतु चैक लिस्ट दिनांक 03.03.2022 को प्रेषित की गयी, जिसमें उक्त चैक लिस्ट के अन्तर्गत आबंटि को चैक लिस्ट प्रेषित किये जाने की तिथि से 60 दिन के अन्दर पट्टा प्रलेख निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण की जानी थी, किन्तु आबंटि संस्था द्वारा पट्टा प्रलेख निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी।
- आबंटि संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.09.2022 के माध्यम से प्राधिकरण के सामान्य अस्पताल हेतु वर्तमान में प्रचलित निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार भवन निर्माण हेतु समय दिये जाने एवं Pediatric के साथ-साथ Multi Speciality Hospital किये जाने का आवेदन किया गया।
- उक्त आवेदन के क्रम में प्रकरण प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-75/15 में प्रस्तुत किया गया जिसमें प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :-

“संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित आबंटि संस्था को नोटिस भेज दिया जाये कि वह 30 दिन के अन्दर सम्पत्ति की लीज डीड करवा कर ब्रोशरकी शर्तों के अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, अन्यथा 01 माह अथवा 31 दिसम्बर 2022 की अवधि व्यतीत होने पर उनका आबंटन निरस्त कर दिया जाये।”

- प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में आबंटि संस्था को कार्यालय पत्रांक वाई.ई.आई.डी.ए./संस्थागत/2022/1896 दिनांक 19.12.2022 द्वारा पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर भूखण्ड की लीज डीड करा कर ब्रोशर की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के हेतु सूचित किया गया, जिसकी अवधि दिनांक 17.01.2023 को समाप्त हो गई है।
- आबंटि संस्था द्वारा आबंटन पत्र दिनांक 10.09.2021 में उल्लिखित देय धनराशि (प्रथम एवं द्वितीय किश्त) का भुगतान नहीं किया गया है। M/s. Apex multispecialty Hospital pvt. Ltd.के पक्ष में आबंटित भूखण्ड संख्या P.H.-1 पॉकेट-सी, सैक्टर-20 क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर आबंटन से पूर्व ही सभी अवस्थापना सुविधाओं से पूर्ण एवं प्राधिकरण के पक्ष में कब्जा प्राप्त था।
- प्राधिकरण की भूखण्ड आबंटन की योजना के सभी नियम एवं शर्तों से भिन्न होते हुये वैश्विक महामारी कोविड के दृष्टिगत 100 bedde pediatric Hospital की स्थापना हेतु आबंटित भूखण्ड पर निर्माण नहीं किया गया तथा प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया।
- प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-75/15 में लिये गये निर्णय के क्रम में नियत समय में आबंटित भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण न करते हुये आबंटि संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा-12 के अन्तर्गत शासन को पुनरीक्षण याचिका दायर की गयी जिसकी सुनवाई दिनांक 29.05.2023 को प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की गयी। उक्त सुनवाई के पश्चात शासन द्वारा आदेश संख्या संख्या 773/77-3-23-

02आर/2023 दिनांक 31 मई, 2023 के सम्बन्ध में आबंटी संस्था द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गयी।

- प्राधिकरण की भूखण्ड आबंटन की योजना के सभी नियम एवं शर्तों से भिन्न होते हुये भी वैश्विक महामारी कोविड के दृष्टिगत 100 bed pediatric Hospital की स्थापना हेतु आबंटित भूखण्ड पर निर्माण नहीं करने, प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने, शासन में दायर पुनरीक्षण याचिका को शासन द्वारा खारिज किये जाने एवं प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-77/20, में लिये गये निर्णय के क्रम में नियत समय में आबंटित भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण न करने के दृष्टिगत M/s. Apex Multispecialty Hospital Pvt. Ltd.के पक्ष में आबंटित भूखण्ड संख्या-P.H.-1,पॉकेट-सी, सेक्टर-20, क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर का आबंटन प्राधिकरण के आदेश संख्या- वाई.ई.आई.डी.ए./संस्थागत/ 2023/2233 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा संस्था द्वारा जमा धनराशि नियमानुसार रिफण्ड कर दी गयी है।
- यह विशेष रूप से उल्लेख करना है कि आबंटी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41(3) सपटित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा-12 के अन्तर्गत शासन में दायर पुनरीक्षण याचिका को शासन द्वारा खारिज किये विषयक जारी आदेश संख्या 773/77-3-23-02आर/2023 दिनांक 31 मई, 2023 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में, रिट याचिका संख्या 20666/2023 मैसर्स एपैक्स मल्टीस्पेसीलिटी हॉस्पिटल प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.07.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिसका सारवान भाग निम्न प्रकार हैं:-

21. The order of State Government otherwise records that requisite facilities were available on the plot. Though this finding is assailed, but we are not inclined to examine this factual issue, any further, as we find that the petitioner has failed to make any endeavours to get the lease deed executed and proceed with the construction of hospital. All through the emphasis of petitioner was to seek alteration of the project itself which was impermissible. Argument raised by the petitioner with regard to lack of facilities on the plot, therefore, cannot be a ground to interfere with the orders impugned in the peculiar facts of the present case, for the reasons noticed above. We, therefore, find no illegality in the action of the respondents. The challenge laid to the impugned action, by filing the present writ petition, therefore, fails. The writ petition, consequently, is dismissed. There shall, however, be no order as to costs.

संस्था द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र दिनांक 07.08.2023 में उपरोक्त तथ्यों को छुपाया गया है।

4. दोनों पक्षों को सुना गया। यह पाया गया कि आवंटी को भूखण्ड संख्या-P.H.-1 पॉकेट-सी, सेक्टर-20 क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर का आवंटन पत्र दिनांक 10.09.2021 को जारी किया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 03.03.2022 को पट्टा प्रलेख निष्पादन हेतु चेक लिस्ट प्रेषित की गयी। आवंटी द्वारा पट्टा प्रलेख निष्पादन की कार्यवाही नहीं की गयी। आवंटन पत्र में उल्लिखित देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। प्राधिकरण की भूखण्ड आबंटन की योजना के सभी नियम एवं शर्तों से भिन्न होते हुये भी वैश्विक महामारी कोविड के दृष्टिगत 100 bed pediatric Hospital की स्थापना हेतु आबंटित भूखण्ड पर निर्माण नहीं किया गया एवं प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया, जबकि प्राधिकरण की सूचना के अनुसार प्रश्नगत

भूखण्ड आवंटन से पूर्व ही सभी अवस्थापना सुविधाओं से पूर्ण एवं प्राधिकरण के पक्ष में कब्जा प्राप्त था। पूर्व में शासन के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका शासन के आदेश दिनांक 31.05.2023 द्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित की गयी है, जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता कंपनी को आवंटित भूखण्ड प्राधिकरण के आदेश दिनांक 28.06.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

पुनः प्राधिकरण के आदेश दिनांक 28.06.2023 के विरुद्ध शासन में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गयी है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 28.06.2023 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी योजित की गयी है, जिसे मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.02023 द्वारा खारिज कर दिया गया है। शासन में प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। पुनः प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. उभय पक्षों को सुनने एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् परिशीलन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत यह पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2023 नियमानुसार है, उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता की याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।


एतद्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या- 6379 (1)/77-3-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर।
2. एपेक्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल प्रा0लि0, नियर मण्डी समिति, एन0एच0-2, आगरा-282006
3. एपेक्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल प्रा0लि0, नियर मण्डी समिति, एन0एच0-2, आगरा-282006 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव